

Date: 10/10/25

MJC-4

Topic: अनुसूचित जाति: परिभाषा

- डॉ. के. एम. शर्मा - "अस्पृश्य जातियाँ वे हैं जिन्हें स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाय और उसे पवित्र होने के लिए कुछ कृत्य करने पड़े।"
- आ. एन. खन्नेया ने राजा जगन किया है तथा कहा है कि हहन के एक उदाहरण के अनुसार प्राद्यों के अस्पृश्य माना पड़ेगा क्योंकि दक्षिण आर्य की होलिया जाति के लोग प्राद्यों के अपने गाँव के बीच से नहीं जाने देते यदि वह खला जाता है तो वे लोग गाँव की शुद्धि करते हैं।
- Nehru स्पष्ट है कि अस्पृश्यता के निर्धारण में दूरे भाषा के अपवित्र होने की बात पर्याप्त नहीं है।
- हहन ने उपर्युक्त चर्चियों को देखते हुए कुछ नियोज्यताओं का उल्लेख किया है जो अस्पृश्य जातियों का निर्धारण में सहायक हैं।
- आपने उसे अस्पृश्य माना है जो उच्च स्थिति के प्राद्यों की सेवा प्राप्त करने के अयोग्य है, स्वर्ण हिन्दुओं की सेवा करने वाले नाइयों, बहारे तथा दर्जियों की सेवा करने के अयोग्य है; हिन्दु मन्दिरों में प्रवेश प्राप्त करने में अयोग्य है, सर्वजनिक सुविधाओं (पाठशाला, सड़क, कुआँ) को उपयोग में लाने के अयोग्य है, व्यक्तिगत पेशे से प्रचङ्क होने के अयोग्य है।
- डॉ. डी. एम. मजूमदार के अनुसार अस्पृश्य जातियाँ विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक नियोज्यताओं से पीड़ित हैं।

Dr. Nitish Kumar
20/10/25